



# कार्यालय अग्निशमन अधिकारी

## नगर परिषद भिवाड़ी (अलवर)


क्रमांक: LSG/BHIWADI/FIRENOC/2022-23/17581

दिनांक: 19.06.2023

### अग्निशमन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **M/SNAVJYOTI PUBLIC SCHOOL, JASAI, MUNDAWAR** जिला अलवर का मौका निरीक्षण दिनांक 19.06.2023 को किया गया। जिसमें निर्धारित स्थानों पर फायर SYSTEM लगे हुये एवं सही अवस्था/कार्यरत अवस्था में पाये गये। अतः निम्न शर्तों की पालना के निर्देश देते हुये अग्निशमन प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किया जाता है।

- 1 किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
- 2 किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन अलवर/ नगर परिषद भिवाड़ी प्रशासन होगा।
- 3 अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे।
- 4 प्रतेक 6 माह मे फायर एक्सपर्ट mock ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद भिवाड़ी को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एव mock ड्रिल के नगर परिषद भिवाड़ी के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वंहन किया जावेगा।
- 5 6 माह में हाइड्रैन्ट सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। नेशनल बिल्डिंग कोड सभी फायर सिस्टम का संधारण करें।
- 6 किसी भी प्रकार का नगर परिषद भिवाड़ी कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 7 समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
- 8 किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
- 9 किसी भी प्रकार की लूज विधुत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
- 10 आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- 11 अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
- 12 समय-समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
- 13 फायर NOC की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रूपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
- 14 यह प्रमाण-पत्र दिनांक. **28/01/2023** से **27/01/2025** तक मान्य होगा।

  
अग्निशमन अधिकारी  
अग्निशमन प्रमाण-पत्र  
नगर परिषद भिवाड़ी